

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान  
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

By Email

संख्या-ए.45011/3/2018-कहिप्रस/1033 दिनांक 02 जून, 2020

सेवा में,

उप निदेशक(पूर्व/पश्चिम/मध्योत्तर/दक्षिण/पूर्वोत्तर/परीक्षा)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
कोलकाता/मुंबई/नई दिल्ली/चेन्नै/गुवाहाटी ।


विषय : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 मई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 मई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/9/2014-स्था-ए-III (वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुपालन में हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत सभी अधिकारियों की कम से कम 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा शेष कार्मिकों को प्रत्येक वैकल्पिक दिवस में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निदेश दिए जाए ।

2. इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रों में स्थापित कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों की साफ-सफाई/रख-रखाव भी सुनिश्चित करवाया जाए ताकि भविष्य में आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए ।

भवदीया,



(सुमन लाल)

प्रभारी निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. उप निदेशक(हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, आर.के.पुरम, नई दिल्ली ।
2. उप निदेशक(हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली ।
3. सहायक निदेशक(भाषा), हिंदी शिक्षण योजना (मुख्यालय), नई दिल्ली ।
4. सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।